राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

कमांक:एफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/8930 दिनांक:– 30/8/2022

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी,
राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,
समस्त।

विषय:– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत **तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार** के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी से कार्य करवाने हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

संदर्भ:– वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, जयपुर के परिपत्र कमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं प्रशासनिक विभाग के पत्र कमांक एफ. 1(23)त.शि./2014 दिनांक 13.07.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र एवं पत्र के कम लेख है कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध गेस्ट फेकल्टी अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नानुसार होंगे :–

1. विभिन्न राजकीय सहशिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा " विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के रिक्त पदों के विरूद्ध अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए आमन्त्रित कर अध्यापन कार्य में सहयोग हेतु वित्त विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित स्तर से (संस्था प्रधान द्वारा) एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 262200068 दिनांक 13.07.2022 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार 300/– रू. प्रति घंटा एवं अधिकतम मासिक मानदेय 21000/– रू. देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फेकल्टी का चयन किया जा सकेगा।
2. गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा की जा सकेगी।
3. संस्थान में कार्यरत तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार (कार्यव्यवस्थार्थ सहित यदि कोई है) को नियमानुसार शिक्षण भार के वितरण उपरान्त आवश्यक होने पर स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए आमन्त्रित किया जा सकेगा।
4. वर्तमान में प्रभावी राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम– 1973 एवं यथासंशोधित नियम– 2021 में तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/उक्त सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कार्मिक को ही गेस्ट फेकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयुसीमा 65 वर्ष रहेगी।
5. राजकीय सेवा में कार्यरत/सेवारत कार्मिक को नहीं लगाया जाएगा।
6. गेस्ट फेकल्टी पर आमन्त्रित तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य में सहयोग ही करवायेंगे, इन्हें कोई प्रशासनिक एवं अन्य कार्य नहीं सौपा जाना है।

7. विशेष परिस्थितियों जैसे स्वीकृत, रिक्त पद के अभाव आदि में किसी महाविद्यालय को तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार की व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फेकल्टी की आवश्यकता होने पर निदेशालय से गेस्ट फेकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फेकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
8. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फेकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक गेस्ट फेकल्टी के होने पर आमन्त्रित गेस्ट फेकल्टी को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले गेस्ट फेकल्टी को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. गेस्ट फेकल्टी की उपस्थिति हस्ताक्षर सहित संस्थान में संधारित नहीं की जायेगी तथा न ही गेस्ट फेकल्टी को किसी प्रकार का अनुभव/कार्यरत होने का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
10. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2022–23 के शिक्षा सत्र हेतु ही है।

11. गेस्ट फेकल्टी का पैनल तैयार करने हेतु दिशा निर्देश :–

(A) वित्त विभाग के परिपत्र के बिन्दु संख्या 4(क) में वर्णित संस्था प्रधान, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों के आधार पर आवश्यकता का आंकलन करें। शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व इस योजना हेतु पैनल बनाने के लिये स्थानीय स्तर पर समाचार–पत्र में संक्षिप्त विज्ञप्ति, प्रैस नोट एवं सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करनी है तथा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर विस्तृत दिशा निर्देश देकर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आंमत्रित किये जायेंगे। यह कार्य यथासम्भव दोनों सेमेस्टरों की आवश्यकतानुसार शिक्षकों, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रारूपकार को सम्मिलित करते हुए शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व एक बार में ही कर लिया जावे। यदि पैनल बनाने हेतु पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो पुनः आवेदन हेतु कार्यवाही करें तथा इसकी सूचना निदेशालय को देवें।

(B) आवेदन पत्रों की जांच महाविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निदेशालय द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित एवं संसूचित दिशा निर्देश/शैक्षणिक योग्यताओं (संलग्न सारणी–1) के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर विषय/ब्रांचवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु निदेशालय में संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित समिति द्वारा पैनल का परीक्षण किया जायेगा। निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् गेस्ट फेकल्टी के पैनल से वरीयता कम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा। गेस्ट फेकल्टी के पैनल की संस्थान स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पश्चात् निदेशालय को अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने वाला प्रस्ताव निम्नानुसार भिजवाया जाए :–

(i) प्रस्ताव के साथ स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति भिजवाएँ।

(ii) महाविद्यालय में आवश्यक गेस्ट फेकल्टी की संख्या, रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रारूप भिजवाएं :–

क.सं.	गेस्ट फेकल्टी की विषय/ब्रांच	किस रिक्त पद के विरूद्ध लगाया जाना है

(iii) गेस्ट फेकल्टी के पैनल का निदेशालय से अनुमोदन हेतु सभी अभ्यर्थियों की वरीयता सूची संलग्न सारणी–2 के प्रारूप के अनुसार भिजवाएें।

(C) चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फेकल्टी के पद हेतु दिए गये नियुक्ति प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति व उपलब्धता प्रदान करनी होगी। प्रधानाचार्य द्वारा तय किये गये समय पर वे कार्य करने आयेंगे। सात दिवस में उपलब्ध नहीं हो पाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकेगा।

(D) यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सत्र के लिये है तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा।

(E) इस योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र (परिपत्र के साथ संलग्न शपथ–पत्र) भरवाकर लिया जायेगा।

(F) अनियमितता, दुराचरण या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य द्वारा गेस्ट फेकल्टी को कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(G) विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी मोनीटरिंग करेंगे तथा सम्पूर्ण रिकार्ड संधारित कर भुगतान हेतु प्रधानाचार्य को संतोषजनक अध्यापन के प्रमाण–पत्र के साथ अग्रेषित करेंगे।

(H) गेस्ट फेकल्टी के कार्य की संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

संलग्नः–

1. सारणी–1 पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मानदण्ड
2. सारणी–2 निदेशालय में अनुमोदन हेतु भिजवाए जाने वाली वरीयता सूची का प्रारूप
3. वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30.03.2021
4. गेस्ट फेकल्टी से लिया जाने वाला शपथ–पत्र,
5. गेस्ट फेकल्टी हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1973 यथासंशोधित 2021 की प्रति।

क्रमांकःएफ–8(1–ए)प्राशिनि/ई–1/सी–5/2022/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर कर निवेदन है कि उक्त दिशा–निर्देशों का प्रशासनिक विभाग के स्तर पर अनुमोदन कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त निदेशक (सी–2, व ई–2), वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

सारणी–1 विद्या सम्बल योजनान्तर्गत गेस्ट फेकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

(A) तकनीशियन (Technician) तथा नक्शानवीस (Draftsman) के लिए

क. स.	शैक्षणिक योग्यता / अनुभव	निर्धारित अंक (स्कोर)			
1.	सैकण्डरी परीक्षा	80 प्रतिशत और उससे अधिक=10	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=08	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=06	60 प्रतिशत से कम पर =04
2	समुचित ट्रेड में आई.टी.आई. परीक्षा या	80 प्रतिशत और उससे अधिक=40	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=32	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=24	60 प्रतिशत से कम पर =16
	समुचित शाखा में तीन वर्ष का डिप्लोमा परीक्षा **नोटः–अभ्यर्थी के आई.टी.आई. तथा डिप्लोमा दोनों उत्तीर्ण की स्थिति में अधिक स्कोर प्राप्त होने वाली किसी एक योग्यता का ही विचार किया जावे।**	80 प्रतिशत और उससे अधिक=50	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=40	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=30	60 प्रतिशत से कम पर =20
3.	आई.टी.आई. के बाद किसी फैक्ट्री या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में व्यावसायिक या शिक्षण अनुभव की स्थिति में प्रत्येक एक वर्ष के लिए 04 अंक । तीन वर्ष के डिप्लोमा के बाद किसी फैक्ट्री या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में व्यावसायिक या शिक्षण अनुभव की स्थिति में प्रत्येक एक वर्ष के लिए 05 अंक । तथापि यदि अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को आनुपातिक रूप से लिया जाएगा।	40 (अधिकतम)			

(B) प्रयोगशाला सहायक (Laboratory Assistant) के लिए

क. स.	शैक्षणिक योग्यता / अनुभव	निर्धारित अंक (स्कोर)			
1.	सैकण्डरी परीक्षा	80 प्रतिशत और उससे अधिक=10	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=08	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=06	60 प्रतिशत से कम पर =04

क. स.	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	निर्धारित अंक (स्कोर)			
2.	सीनियर सैकण्डरी	80 प्रतिशत और उससे अधिक=40	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=32	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=24	60 प्रतिशत से कम पर =16
3.	भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान सहित बी.एस.सी.	80 प्रतिशत और उससे अधिक=20	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=16	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=12	60 प्रतिशत से कम पर =08
4.	भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में एम.एस.सी.	80 प्रतिशत और उससे अधिक=10	70 प्रतिशत और उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम=08	60 प्रतिशत और उससे अधिक और 70 प्रतिशत से कम=06	60 प्रतिशत से कम पर =04
5.	सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण के बाद किसी संस्थान में व्यावसायिक या शिक्षण अनुभव, प्रत्येक एक वर्ष के लिए 04 अंक । तथापि यदि अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को आनुपातिक रूप से लिया जाएगा।	20 (अधिकतम)			

(राजीव कुमार जयसवाल)
संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

प्रारूप

सारणी 2

संस्थान का नाम :-——————————

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत ....विषय/ब्रांच हेतु तकनीशियन (**Technician**) तथा नक्शानवीस (**Draftsman**) के लिए गेस्ट फेकल्टी की वरीयता सूची

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम	सैकण्डरी		आई.टी.आई.		डिप्लोमा		अनुभव	कुल अंक (स्कोर)	वरीयता कमांक	टिप्पणी
		प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	अंक (स्कोर) (अधिकतम 40)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोटः–

1. पैनल में समान अंक (स्कोर) प्राप्त होने की स्थिति में पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा (डिप्लोमा या आई.टी.आई.) में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाए।
2. आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के समान स्कोर की स्थिति में डिप्लोमा उत्तीर्ण को वरीयता दी जायेगी।
3. **अभ्यर्थी के आई.टी.आई. तथा डिप्लोमा दोनों उत्तीर्ण की स्थिति में अधिक स्कोर प्राप्त होने वाली किसी एक योग्यता का ही विचार किया जावे।**
4. संस्था स्तर पर गठित कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर एवं संस्था प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निदेशालय को भिजवावें।

प्रारूप

संस्थान का नाम :-------------------------

विद्या संबल योजना के अन्तर्गत ....विषय/ब्रांच हेतु प्रयोगशाला सहायक **(Laboratory Assistant)** के लिए गेस्ट फेकल्टी की वरीयता सूची

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	सैकण्डरी		सीनियर सैकण्डरी		बी.एस.सी.		एम.एस.सी.		अनुभव	कुल अंक (स्कोर)	वरीयता कमांक	टिप्पणी
		प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	प्राप्तांक प्रतिशत	अंक (स्कोर)	अंक (स्कोर) (अधिकतम 20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोटः–

1. पैनल में समान अंक (स्कोर) प्राप्त होने की स्थिति में पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी) में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाए।
2. संस्था स्तर पर गठित कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर एवं संस्था प्रधान के प्रतिहस्ताक्षर सहित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु निदेशालय को भिजवावें।

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 जयपुर, दिनांक 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों / प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियांओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी / चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक / निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f.1.2.2021

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय / प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक / प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	—	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	—	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / तकनीकी महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव / निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgr@rajasthan.gov.in
Order-circulars w.e.f. 1.2.2021

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No. F.2(1)DOP/A-II/93 Jaipur, dated 17.09.2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Technical Education Subordinate Service (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973, hereinafter referred to as the said rules, the following new clause (aa) shall be inserted, namely:-

"(aa) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;"

3. Amendment of rule 4.- In sub-rule (1) of rule 4 of the said rules, for the existing expression "schedule", the expression "Schedule-I" shall be substituted.

4. Amendment of rule 5.- In clause (a) of rule 5 of the said rules, for the existing expression "schedule", the expression "Schedule-I" shall be substituted.

5. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the said rules,-

i) for the existing expression "Schedule", wherever occurring, the expression "Schedule-I" shall be substituted; and
ii) for the existing expression "Commission, where necessary", the expression "Board" shall be substituted.

6. Amendment of rule 7.- In sub-rule (3) of rule 7 of the said rules, for the existing expression "by the Commission, for posts falling in its purview, and by the Appointing Authority in other cases," , the expression "by the Board/Appointing Authority, as the case may be" shall be substituted.

7. Amendment of rule 9.- In rule 9 of the said rules, for the existing expression "in the Schedule must", the expression "in the Schedule-I must" shall be substituted.

8. Amendment of rule 10.- In rule 10 of the said rules, for the existing expression "Schedule", wherever occurring, the expression "Schedule-I" shall be substituted.

9. Amendment of rule 13.- In rule 13 of the said rules,-

i) for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted;

Gm

ii) for the existing expression "interview", wherever occurring, the expression "written examination" shall be substituted; and

iii) the existing clause (a) shall be substituted by the following, namely :-

"(a) by the Board or the Appointing Authoruty, as the case may be, from admission to any examination, and"

10. Amendment of rule 15.- In sub-rule (2) of rule 15 of the said rules, for the existing expression "Schedule", the expression "Schedule-I" shall be substituted.

11. Amendment of rule16.- In rule 16 of the said rules, for the existing expression "Commission", the expression "Board" shall be substituted.

12. Amendment of rule 17.- In rule 17 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted.

13. Amendment of rule 18.- In rule 18 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Board" shall be substituted.

14. Amendment of rule 19.- In rule 19 of the said rules,-

(i) for the existing expression "Commission", wherever occurring,the expression "Board" shall be substituted;and

(ii) for the existing expression " before it for interview", the expression "in written examination conducted by it" shall be substituted.

15. Insertion of new rule 19A and 19B.- After rule 19, so amended and before the existing rule 20 of the said rules, the following new rule 19A and 19B shall be inserted, namely:-

"**19A. Scheme and syllabus for the post of Draftsman/Technician/Laboratory Assistant.-** The post of Draftsman /Technician / Laboratory Assistant shall be filled in by written examination conducted by the Board in accordance with the Scheme and Syllabus of the examination as prescribed in Schedule-II

19B. Admission to the examination.- (1) The applications which are found to be incomplete and have not been filled in accordance with the instructions issued by the Board/Appointing Authority, as the case may be, shall be rejected by the Board/ Appointing Authority, as the case may be, at the initial stage. The Board/Appointing Authority, as the case may be, shall permit the rest of those candidates to appear in the examination provisionally to whom they consider it proper to grant the certificate of admission. No candidate shall be admitted to an examination unless he/she holds a certificate of admission to that examination, granted by the Board/Appointing Authority, as the case may be. Before appearing at the examination, it should be ensured by the candidate himself/herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience etc., as provided in these rules. Being allowed to take the examination shall not entitle the candidate to presumption of eligibility.

(2) The decision of the Board/Appointing Authority, as the case may be, as to the admission of a candidate in the examination, eligibility shall be final."

16. Amendment of rule 20.- In rule 20 of the said rules,for the existing expression "Commission", wherever occurring,the expression "Board" shall be substituted.

6r4

17. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE-I

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Draftsman	100% by direct recruitment	(a) Secondary from a recognized Board or its equivalent examination; and (b) Certificate in Draftsmanship of NCVT (National Council for Training in Vocational Trades) in appropriate trades with at least two years' professional/teaching experience in Factory/ Institute recognized by Government after obtaining certificate for NCVT. OR Three years Diploma course in appropriate branch from Board of Technical Education, Rajasthan or any University recognized by State Government of Rajasthan with at least one year's of professional/teaching experience in Factory/Institute recognized by the Government after obtaining Diploma	-	-	"Factory" means a Factory as defined in Factories Act, 1948.
2.	Technician	100% by direct recruitment	(a) Secondary from a recognized Board or its equivalent	-	-	"Factory" means a Factory as

GWY

			examination; and (b)Certificate of NCVT (National Council for Training in Vocational Trades) in appropriate trades with at least two years' professional/teaching experience in Factory/ Institute recognized by Government after obtaining certificate for NCVT. OR Three years Diploma course in appropriate branch from Board of Technical Education, Rajasthan or any University recognized by State Government of Rajasthan with at least one year's of professional/teaching experience in Factory/Institute recognized by the Government after obtaining Diploma			defined in Factories Act, 1948.
3.	Laboratory Assistant	100% by Direct recruitment	Senior Secondary in Science with Mathematics from a recognized Board or its equivalent examination	-	-	

"

18. Addition of new Schedule-II.- After Schedule-I, so substituted, the following new Schedule-II shall be added, namely:-

"Schedule-II
(See rule 19A)

Scheme and Syllabus of written examination for the post of Draftsman/Technician/ Laboratory Assistant

1. The question paper of written examination shall carry multiple choices type questions.
2. Duration of examination shall be three hours.

3. All questions shall carry equal marks and there shall be no negative marking.

Syllabus of examination :

(1) Syallbus for the post of Draftsman/ Technician shall be in accordance with the syllabus of certificate course of the NCVT in appropriate trades, as amended from time to time.

(2) Syallbus for the post of Laboratory Assistant shall be in accordance with the syllabus of Physics and Chemistry of Senior Secondary standard.

Scheme of examination: The question paper should include the following sections which shall carry the number of questions and the number of marks, as in following manner:-

Sections	Subject	No of question	No of marks
Part A	Question based on Theory knowledge	50	50
Part B	Question based on Practical knowledge	50	50
Part C	Current Affairs and General Studies of Rajasthan	50	50
	Total Question/Marks	150	150

"

By Order and in the name of the Governor,

(Jai Singh)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

कमांक एफ.1(23)त.शि. / 2014 जयपुर, दिनांक 13 JUL 2022

निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषयः– विद्या संबल योजना के संबंध में ।

संदर्भः– एफ–8(1–ए)प्राशिनि / ई–1 / सी–5 / 2020 / 3554, 3555 एवं 3556 दिनांक 21.04.2022 (P. 225-227/C)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि विद्या संबल योजना के अर्न्तगत प्रेषित प्रस्तावों पर वित्त विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	प्रस्ताव	वित्त विभाग की टिप्पणी
1.	विद्या संबल योजनान्तर्गत तकनीशियनों के रिक्त पदों के विरूद्ध गैस्ट फैकल्टी की नियुक्ति को सम्मिलित करवाने के प्रस्ताव।	तकनीकी शिक्षा विभाग में प्राविधिविज्ञ, प्रयोगशाला सहायक व प्रारूपकार के रिक्त पदों पर 300 / – रू. प्रति घंटा एवं अधिकतम मासिक मानदेय 21000 / – रू. पर विद्या संबल योजना के अर्न्तगत गैस्ट फैकल्टी लिये जाने पर वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है।
2.	विद्या संबल योजना में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि प्रवक्ताओं की सेवाओं के लिए नियमानुसार; आरक्षण को ध्यान में रखते हुए विज्ञप्ति जारी करवाने के संबंध में।	विद्या संबल योजना हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 के अनुसार कार्यवाही करने का परामर्श दिया जाता है।
3.	विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को यात्रा भत्ता के प्रस्ताव	विद्या संबल योजनान्तर्गत लगाये गये फैकल्टी को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त यात्रा भत्ता देने का प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है।

क्र.स. 1 एवं 2 वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 262200068 दिनांक 13.07.2022 एवं क्र.स. 3 आई.डी. संख्या 102202811 दिनांक 24.05.2022 द्वारा अनुमोदित है।

DIRECTORATE OF TECH EDUCATION
JODHPUR
R. R. No. 5047
DATE 20/7/2022

(राजेश कुमार चौहान)
संयुक्त शासन सचिव

d:\vivek office\letter\letter 21-22.docx